समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 203/92-सीमा शुल्क सा.का.नि.सं. 536 (अ), तारीख 19 मई, 1992 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण के खण्ड (iii) में उपखंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु विभिन्न आकार के दूरदर्शन सेटों और विनिर्देशों को एकल निर्यात उत्पाद समझा जाएगा; " ।

[फा.सं. 605/4/93-डी बी के]
बी.एल. गुर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 1993

NO. 9/93-CUSTOMS

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 203/92-Customs GSR No. 536(E), dated the 19th May, 1992, namely :—

In the said notification, in the Explanation, in clause (iii), after sub-clause (a), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that Television sets of different sizes and specifications shall be deemed to be single export product;".

[F. No. 605/4/93-DBK]
B. L. GUR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/92 REGD. No. D.L. 33004/92

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 22, 1993/फाल्गुन 3, 1914
No. 60] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 22, 1993/PHALGUNA 3, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1993

सा. का. नि. 79(अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई निम्नलिखित उद्घोषणा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है:—

उद्घोषणा

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शंकर दयाल शर्मा, भारत का राष्ट्रपति, नागालैण्ड राज्य के संबंध में